ब–अदालत, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा

मुटेशन अपील वाद सं0– 04/2021

मनोज कुमार वगै0 बनाम झारखंड सरकार

–: आदेश :–

6/6/25

प्रस्तुत वाद अपीलकर्त्ता मनोज कुमार,हेमंत कुमार,विलियम कुमार सभी पिता–स्व0 सुधांशु प्रसाद राम साकिन–शंकरपुर,थाना–मेहरमा,जिला–गोड्डा, के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा के दाखिल खारिज वाद सं0–12/1969–70 में दिनांक–10.11.1969 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील के आलोक में प्रारंभ किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा–शंकरपुर नं0–23, जमावंदी नं0–10, रकवा–191बी0–02क0–04धूर जमीन जमाबंदी रैयत– गनौरी राम पिता महादेव राम के नाम से दर्ज है। गनौरी राम के चार पुत्र थे, रघुनाथ राम,ब्रहमदेव राम,सत्यनारायण राम एवं सुधांशु प्रसाद राम।वर्ष1968 में गनौरी राम ने अपने चार पुत्रों में जमीन का बटवारा कर दिया। बटवारा के उपरांत वर्णित भूमि का गनौरी राम ने दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, मेहरमा के समक्ष आवेदन दाखिल किया,दाखिल खारिज वाद सं011/1969–70 रघुनाथ राम का 34बी0–02क0–13½धूर जमीन, दाखिल खारिज वाद सं012/1969–70 सुधांशु प्रसाद राम का 30बी0–06क0–17धूर जमीन,दाखिल खारिज वाद सं013/1969–70 सत्यनारायण राम, 30बी0–01क0–06धूर जमीन एवं दाखिल खारिज वाद सं014/1969–70 ब्रहमदेव राम 32बी0–02क0–01धूर जमीन का आदेश पारित किया गया तथा जमाबंदी नं0–10 की शेष भूमि जमाबंदी रैयत– गनौरी राम के पास रह गया। दाखिल खारिज के उपरांत रघुनाथ राम हेतु जमाबंदी नं010/3, ब्रहमदेव राम हेतु जमाबंदी नं010/4, सुधांशु प्रसाद राम हेतु 10/6, सत्यनारायण राम हेतु 10/5 तथा मूल जमावंदी सं0 10,जमाबंदी रैयत गनौरी राम के नाम पर बनी हुई है।म्युटेशन के बाद सभी पाँचो पक्ष अलग–अलग लगान रसीद कटाते आ रहे है। जमाबंदी रैयत गनौरी राम की मृत्यु होने के कारण गनौरी राम की शेष भूमि का अपीलकर्ता ने विभाजित कर लिया इसके अलावे गनौरी राम के सभी चार वेटों की भी मृत्यु हो गई है। गनौरी राम की मृत्यु के कारण गनौरी राम की संपूर्ण भूमि का नये सिरे से विभाजन करना आवश्यक है।

नया बटवारानामा के आधार पर प्रकाश राम पुत्र स्व0 रघुनाथ राम को 43बी009क013¾ धुर, ज्योतिष प्रसाद राणा व विभाष कुमार राणा दोनो पिता स्व0 ब्रहमदेव राम को 42बी002क0 6½धुर,शिवनाथ सिन्हा,ब्रजेश सिन्हा व सतीश कुमार सिंन्हा तीनो पिता स्व0 सत्यनारायण राम को 46बी004क018½धुर,एवं मनोज कुमार,हेमंत कुमार,विलियम कुमार सभी पिता–स्व0 सुधांशु प्रसाद राम को 42बी013क0 13½धुर जमीन के हिस्से का नामांतरण आवश्यक है।

अपीलकर्त्ता पूर्व मे बटवारानामा को रद्व कर एक नया बटवारानामा के आधार पर पुनःअपने–अपने पक्ष में नामांतरण कराना चाहते है और इसके लिए पूर्व के नामांतरण को निरस्त कराना चाहते है। इसमे अपीलकर्त्ता का पक्ष है कि सभी पक्षकार निरस्त कराने हेतु सहमत है।

अपीलकर्ता के अपील आवेदन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता जमाबंदी रैयत गनौरी राम के वंशज हैं। पूर्व का नामांतरण आपसी बटवारानामा के आधार पर हुआ था और वैध है।यदि आवेदकगण पुनः आपसी नया बटवारानामा के आधार पर नामांतरण चाहते है तो संबधित अंचल अधिकारी के समक्ष नया आवेदन दाखिल कर सकते है। इसके लिए पूर्व के नामांतरण को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु वर्तमान बटवारानामा के आधार पर पूर्व मे कायम पंजी–2की जमाबंदियो यथा 10/3,10/4,10/5,10/6 इत्यादि से भूमि का घटाव कर नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

अतः अंचल अधिकारी,मेहरमा को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के नये बटवारानामा की वैधता एवं सभी रैयतो की सहमति की गहनतापूर्वक जाँच करने के उपरांत नामांतरण की कार्यवाही करेंगे।

अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं उक्त निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

06/6/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
महागामा।

06/6/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.06.18 13:12:02 +05:30
Location: 192.168.243.148